न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 08/2024

जी.सी.एम.एस. : 2024/215

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
दौलतसिंह पुत्र मुकनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी तालका, तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली		सरकार जरिये तहसीलदार महोदय मारवाड जंक्शन

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री घनश्याम सिंह व धीरेन्द्र सिंह राजपुरोहित।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्रसिंह लबाना।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 24/12/2024

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के राजस्व विविध प्रकरण संख्या 75/2023 सरकार बनाम दौलतसिंह में पारित निर्णय दिनांक 04.03.2024 को अपास्त कराने हेतु प्रस्तुत की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का खारड़ी ने अपीलाण्ट को ग्राम तालका के खसरा नम्बर 41 रकबा 0.12 हैक्टेयर किस्म बजंड़ की भूमि पर अवैध रूप से पक्का मकान बना कर अतिक्रमण करने बाबत रिपोर्ट बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश की, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 75/2023 दर्ज कर, अपीलाण्ट को सुनवाई हेतु दिनांक 04.03.2024 को उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी किया गया, जो अपीलाण्ट को तामील नहीं हुआ तथा अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 04.03.2024 को अपीलाण्ट को अनुपस्थित मानते हुए अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए अतिक्रमित आराजी से भौतिक रूप से बेदखली के आदेश के साथ ही 50/– रूपये जुर्माना अधिरोपित करने बाबत निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व मातहत अदालत ने अपीलाण्ट को सुनवाई का पुरा अवसर प्रदान नहीं किया, जबकि किसी व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का पुरा अवसर दिये जाने के आज्ञापक प्रावधान है, जो हस्तगत प्रकरण में नहीं किया गया है। अपीलाण्ट का खसरा नम्बर 41 पर करीब 30

अति. जिला कलेक्टर, पाली

वर्षो से अधिक समय से पक्का मकान बना हुआ है जिसमें अपीलाण्ट अपने परिवार सहित निवास करता है जिसके अलावा अपीलाण्ट के पास अन्य कोई मकान नहीं है। अपीलाण्ट के तीन शादीशुदा पुत्र बद्रीसिंह, डुंगरसिंह व सवाईसिह एवं बद्रीसिंह के पुत्र जिसकी शादी हो चुकी है सभी लोग अपने परिवार सहित उक्त आराजी पर रहते है। सभी ने अपने अलग-अलग मकान बना रखे है। जैर अपील का आवासीय प्रयोजनार्थ नियमन हेतु पत्रावली संबधित न्यायालय में वर्ष 2018 में पेश कर रखी है, जिसमें पटवारी हल्का एवं आर आई द्वारा अपीलाण्ट का आधिपत्य संवत 2058 से होना मान कर नियमन के लिए अनुशंषा की थी। जिसके संबंध में नियमानुसार नियमन शुल्क की राशि भी जमा करवा दी थी। जिससे उक्त आराजी का विधिवत नियमन होना प्रमाणित होता है। जैर अपील आराजी खसरा नम्बर 41 जो की गांव तालका में है जिसमे कई वर्षो से आबादी बसी हुई है, जिसकी क़िस्म गैर मुमकिन बंजर है जो प्रतिबंधित भूमि की किस्म मे नहीं आने से काबिल नियमन है एवं ग्राम पंचायत जाड़न द्वारा भी उक्त आराजी को आबादी भूमि हेतु आवंटन किये जाने बाबत प्रस्ताव जिला कलक्टर महोदय एवं उपखण्ड अधिकारी को प्रार्थना पत्र पेश किया जा चुका है लेकिंन आदिनांक तक उक्त आराजी का नियमन नहीं हुआ है। राज्य सरकार के परिपत्रों दिनांक 07.09.2017, 15.07.2017, 03.10. 2017 एवं 31.11.2017 के अनुसार भी उपरोक्त भूमि का सर्वे करवाकर आबादी में आवंटन कर अपीलाण्ट सहित काबिल व्यक्तियों को पट्टा दिया जाना उचित माना है। ग्राम पंचायत ने भी उक्त आराजी को आबादी भूमि मानकर दिनांक 15.11.1999 को पटटा जारी कर रखा है जो आदिनांक तक प्रभाव में है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय जैर अपील आदेश की आड़ में अपीलाण्ट को बेदखल करने पर आमदा है जो विधि विरूद्व एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो के विरूद्व होने से काबिल खारिज योग्य है।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील आराजी पर पक्का मकान बना कर अतिक्रमण किया है जिसकी किस्म गैर मुमकिन बंजड़ है। अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील आराजी पर अतिक्रमण करने पर हल्का पटवारी खारडी ने इसकी टी.पी. रिपोर्ट मातहत अदालत में पेश की, जिस पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर अपीालाण्ट को नोटिस जारी किया गया। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण परिलक्षित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया को अपनाते हुए की गई है। अतः उक्त आदेश विधि संगत होने से अपीलाण्ट की अपील खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जैर अपील तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के राजस्व विविध प्रकरण संख्या 75/2023 सरकार बनाम दौलतसिंह में पारित निर्णय दिनांक 04.03.2024 के विरूद्व पेश की है। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में वकील अपीलाण्ट के कथनों पर गौर किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय

अति. जिला कलेक्टर, पाली

की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का खारड़ी ने मौजा तालका खसरा नम्बर 41 रकबा 0.12 हैक्टर किस्म बंजड़ भूमि पर अपीलाण्ट का नाजायज कब्जा/काश्त कर अतिक्रमण किये जाने बाबत् टी.पी. रिपोर्ट तहसीलदार मारवाड जंक्शन के समक्ष पेश की, जिस पर तहसीलदार मारवाड जंक्शन ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर अपीलाण्ट को नोटिस जारी किये गये। 91 एल.आर.एक्ट. के अधीन नोटिस प्रारूप 'क' में अपीलाण्ट दौलतसिंह पुत्र मुकनसिंह जाति पुरोहित निवासी तालका को दिनांक 14.02.2024 को जारी किया गया, जो मातहत अदालत की आदेशिका से स्पष्ट है साथ ही नोटिस में उल्लेखित किया कि 'आप दिनांक 04.03.2024 से पूर्व उक्त भूमि को खाली कर दे अथवा स्वयं या प्लिडर द्वारा दिनांक 04.03.2024 को तहसील कार्यालय मारवाड़ जंक्शन में 10.00 पूर्वान्ह हाजिर होवे तथा यह हेतुक दर्शित करे कि आपको यहां से बेदखल क्यों न कर दिया जावे।' परन्तु उक्त नोटिस अपीलाण्ट के पौत्र द्वारा तामील सुदा है न कि अपीलाण्ट द्वारा इसलिये नोटिस विधिवत तामिल की श्रेणी में नहीं आने के उपरान्त भी मातहत अदालत ने उक्त नोटिस को तामिल मान लिया, जो विधिनुसार उचित नहीं है।

इसके अतिरिक्त यह भी पाया कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 14.02.2024 के द्वारा अपीलाण्ट को नोटिस जारी किया गया और आगामी पेशी दिनांक 14.03.2024 को अपीलाण्ट अनुपस्थित होने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मातहत अदालत ने अपीलाण्ट को जवाब एवं साक्ष्य सबुत पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये बिना ही विधिविरूद्ध तरीके से जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधिविरूद्ध है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलाण्ट ने जैर आराजी पर बने मकान एवं बाड़े के नियमन हेतु तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के समक्ष आवेदन पेश किया एवं मौके पर अपीलाण्ट का वर्ष 1998 से सेट्लण्ड पजेशन है एवं मकान बना हुआ है जिसकी ताईद् में ग्राम तालका की सम्वत् 2058 से लगातार 2075 एवं सम्वत् 2078 से 2080 तक की खसरा परिवर्तित निर्धारण तथा गैर-मुस्तकिल काश्त तथा फोटोफ्ग्रास पेश किये है साथ ही रेस्पोडेण्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश की आड़ में वर्तमान में अपीलाण्ट को सेट्लण्ड पजेशन से बेदखल करना न्यायोचित नहीं है। अधिवक्ता अपीलाण्ट के उक्त कथन का स्पष्ट प्रतिउत्तर देने में सरकारी पैरोकार असमर्थ रहे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों अनुसार अपीलाण्ट ने तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के समक्ष जैर आराजी के नियमन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर पटवारी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 05.09.2018 में अंकित किया कि जैर आराजी पर अपीलाण्ट का सम्वत् 2058 से लगातार कब्जा है जिस पर मकान बना रखा है, भूमि विवादित नहीं है नियमानुसार भूमि नियमन की अनुशंषा की जाती है, जिससे यह सुस्पष्ट होता है कि जैर अपील आराज़ी क़ाबिल नियमन थी, जिस पर अपीलाण्ट का सेट्लण्ड पजेशन है। साथ ही अपीलाण्ट द्वारा जैर आराजी नियमन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा पत्र दिनांक 05.08.2019 के जरिये भू.अ.नि जाड़न से पी-14 के आधार पर जांच रिपोर्ट चाही गयी, जिसमें भी भ.अ.नि. जाड़न ने नियमानुसार आवंटन की सिफारिश की है, जिसके क्रम में तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन ने पत्र दिनांक 13.08.2019 के द्वारा

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अपीलाण्ट से सनद् शूल्क व प्रीमियम राशी वसूल करने हेतु पटवारी हल्का खारड़ी को निर्देशित किया, जिसकी पालना में अपीलाण्ट ने जरिये रसीद संख्या 0000035 दिनांक 22.08.2019 के द्वारा सनद शुल्क 5/- रूपये एवं प्रीमियम शुल्क 500/- रूपये कुल 505/- रूपये जमा करवायी, जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है। सम्पूर्ण प्रकरण के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि अपीलाण्ट ने जैर आराजी के नियमन हेतु निर्धारित शुल्क भी वर्ष 2019 में ही जमा करवा दी थी उसके उपरान्त रेस्पोडेण्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलाण्ट को बेदखल किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

इसके अतिरिक्त दौराने बहस अधिवक्ता अपीलाण्ट का मुख्य कथन यह भी रहा कि जैर आराजी की किस्म गैर मुमकीन बंजड़ है, जो कि काबिल नियमन है तथा उक्त भूमि का उपयोग कई दशकों से आवासीय प्रयोजनार्थ हो रहा है, जिसके सम्बन्ध में ग्राम पंचायत जाड़न द्वारा प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 09.05.2017 के द्वारा जैर आराजी का आबादी हेतु आंवटन करने बाबत् प्रस्ताव जिला कलक्टर महोदय एवं उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित किय गये थे लेकिन अब तक आबादी में परिवर्तन/आवंटन नहीं हुआ है। सरकारी पैरोकार ने भी अधिक्ता अपीलाण्ट के उक्त तथ्यों का समर्थन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पंचायत जाड़न के बैठक कार्यवाही रजिस्ट दिनांक 09.05.2017 प्रस्ताव संख्या 5 की प्रति में स्पष्टतया अंकित है कि खसरा संख्या 41 की सरकारी भूमि को आवश्यकतानुसार आबादी हेतु आवंटन कराने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। साथ ही अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत आबादी विस्तार हेतु भूमि आरक्षण/आवंटन के सम्बन्ध में राजस्व (ग्रप-6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 10.01.2013 एवं 07.09.2017 के अनुसार भी जैर आराजी प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं होने से नियमानुसार काबिल नियमन थी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर बने आवास गृहों के पट्टे दिये जाने के सम्बन्ध में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग) के परिपत्र दिनांक 15.09.2017, 03.01.2017 तथा 31.11.2017 भी अधिवक्ता अपीलाण्ट के कथनों का समर्थन करते है। सम्पूर्ण विवेचन के उपरान्त रेस्पोडेण्ट द्वारा पारित जैर अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाकर तथा तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा प्रकरण संख्या 75/2023 सरकार बनाम दौलतसिंह में पारित निर्णय दिनांक 04.03.2024 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए दस्तावेजो/साक्ष्य की जांच कर विधि सम्मंत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 24\12\2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली